भर्ती हेतु सूचना

सलाहकार– स्वास्थ्य नीति एवं एकीकृत नियोजन और एनपीएमयू का नेतृत्व

सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु राज्यों को तकनीकी सहायता एवं क्षमता विकास में सहयोग प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत एक स्वायत्त पंजीकृत सोसायटी के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी) का गठन किया गया है। एनएचएसआरसी को राज्यों और जिलों में प्रमुख नियोजन और कार्यान्वयन इकाइयों/टीमों के साथ भागीदारी के माध्यम से और अनुभव आदान–प्रदान करने और सीखने की एक प्रणाली द्वारा राष्ट्रीय रणनीतिक स्वास्थ्य नियोजन और कार्यक्रम डिजाइन में योगदान करने का भी दायित्व सौंपा गया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, एनएचएसआरसी की तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण सहयोग से नीतियों और कार्यान्वयन रणनीतियों को अंतिम रूप देता है। प्रति वर्ष संपादित की जाने वाली पीआईपी (कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना) से सभी नीतियों और कार्यान्वयन रणनीतियों को समन्वित किया जाता है, और उन्हें कार्य योजना और बजट के रूप में रूपांतरित किया जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्थित राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एनपीएमयू), योजनाओं और उनके अनुमोदन को अंतिम रूप देने में मंत्रालय और राज्यों का सहयोग करती है।

एनएचएम के कार्यक्षेत्र में विस्तार और स्वास्थ्य प्रणाली दृष्टिकोण के माध्यम से आरसीएच, एनयूएचएम, डीसीपी और एनसीडी के निर्बाध अभिसरण के कारण, प्रभागों, एनपीएमयू और एनएचएसआरसी के बीच कार्य पद्धति को एकीकृत करने, उसे सरल बनाने और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, ताकि योजना निर्माण और कार्यान्वयन में व्यापक जानकारी और साक्ष्य का आधार परिलक्षित हो।

एनपीएमयू और एनएचएसआरसी को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए एनएचएसआरसी, पूर्णतः संविदा आधार पर सलाहकार (स्वास्थ्य नीति एवं नियोजन) की भर्ती करने का इच्छुक है। पदग्राही से अपेक्षा की जाती है कि वह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और एनपीएमयू के गहन समन्वय में कार्य करे; और एनपीएमयू के परामर्शदाताओं को सलाह/संरक्षण प्रदान करे, उनकी कार्यपद्धति को विकसित करे और उनका समन्वय करे।

भूमिकाएं और दायित्वः

1. राज्य को बेहतर नियोजन और कार्यान्वयन हेतु राज्य को तकनीकी सहायता/सहयोग प्रदान करने मे एनपीएमयू का नेतृत्व करना। एनएचएम, स्थानीय संदर्भों के साथ–साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के समग्र ढांचे के तहत नीति और रणनीति के विकास में राज्यों की सहायता करना।
2. कार्यान्वयन अनुसंधान की रूपरेखा तैयार कर/उसे आरंभ कर, नियोजन प्रक्रिया में साक्ष्य के रूप में शामिल करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, तकनीकी विभागों और राज्यों के साथ परामर्श और एनपीएमयू की सहायता से विश्लेषण कर, साक्ष्य जुटाने में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का सहयोग करना।
3. एनपीएमयू के परामर्शदाताओं के कार्य में सलाह/प्रशिक्षण देना और समन्वय करना। एनएचएम के लक्ष्यों को आगे ले जाने के लिए आवश्यक तकनीकी जानकारी और समय पर सूचना उपलब्ध कराने में की राज्यों के साथ समन्वय करना।
4. स्वास्थ्य प्रणालियों के तहत शामिल कार्यक्रमों के एकीकरण, अभिसरण और सार्वजनीकरण के लिए सिफारिशें तैयार करना।
5. दोहराव और उदग्रता को कम करने के लिए समूहों में समन्वित तरीके से योजना बनाने में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का सहयोग करना। आवंटित संसाधनों से परिणाम की निगरानी और उसमें सुधार करने के लिए प्रणालिया विकसित करना।
6. एनपीएमयू परामर्शदाताओं के साथ वार्षिक नियोजन प्रक्रिया का समन्वय करना और इसे अधिक कुशल और अधिक साक्ष्य आधारित बनाना। एनपीएमयू परामर्शदाताओं का उनके विषयगत क्षेत्र से संबंधित कार्यों में सहयोग करना।
7. प्रभागों और राज्यों के साथ परामर्श करते हुए योजना निर्माण और बजट से संबंधित दिशानिर्देश तैयार करना और उन्हें अद्यतन करना।
8. नियोजन प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का उपयोग करने में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का सहयोग करना और इसे उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए इनपुट प्रदान करना।
9. अपनी सभी विविधताओं और जटिलताओं सहित नियोजन रणनीतियों और इंजीनियरिंग स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार के पूर्वानुमान में सहायता करना।
10. प्रदर्शन आधारित बजट निर्माण के लिए रूपरेखा तैयार करना और शर्तों के मूल्यांकन और विभिन्न मानदंडों के आधार पर पर राज्यों के क्रम निर्धारण (रैंकिंग) में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का सहयोग करना।
11. एसपीएमयू, डीपीएमयू, बीपीएमयू और अस्पताल प्रबंधकों के व्यापक और सतत क्षमता विकास कार्यक्रम तैयार करने और उसका संचालन करने में एनआईएचएफडब्ल्यू और एनएचएसआरसी का सहयोग करना।

12. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राज्यों को आवश्यकतानुसार अभिनव प्रयासों/प्रायोगिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और विस्तार के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना।
13. कार्यक्रमों की भौतिक और वित्तीय, दोनों प्रगति की निगरानी रखने के लिए उपलब्ध डेटा स्रोतों, सर्वेक्षण डेटा के साथ–साथ एचएमआईएस, एमसीटीएस, एमसीटीएफसी और एफएमआर डेटा के उपयोग के लिए प्रणाली विकसित करना। बेहतर निगरानी और कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सुधार की सिफारिश करना।
14. अच्छी कारगर नीतियों, रणनीतियों, संरचनाओं और नेतृत्व प्रथाओं का पता लगाने के लिए उनका अध्ययन, विश्लेषण करना और राज्यों से तुलना करना और राज्यों में उनके प्रचार–प्रसार के लिए एनपीएमयू की सहायता से उन्हें अभिलिखित करना।
15. हितधारकों, विशेष रूप से राज्यों के साथ विचार–विमर्श के आधार पर प्रमुख चुनौतियों और महत्वपूर्ण मुद्दों पर अवधारणा नोट और सिफारिशें तैयार करना।
16. पीआईपी के लिए दिशा–निर्देशों को तैयार करने में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का सहयोग करना और एनपीसीसी बैठकों के बाद आरओपी तैयार करना।
17. ईडी एनएचएसआरसी/मंत्रालय द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्य कार्य करना।

योग्यताएं एवं अनुभवः

1. किसी प्रतिष्ठित और मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीए या जन स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर उपाधि
2. स्वास्थ्य प्रणाली, स्वास्थ्य प्रणाली अनुसंधान, स्वास्थ्य नियोजन और स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी के कार्यान्वयन में योग्यता उपरांत न्यूनतम 15 वर्षों का अनुभव
3. स्वास्थ्य प्रणालियों या जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रकाशित कार्य
4. नियोजन और रणनीति विकास में प्रदर्शित अनुभव, फील्ड स्तर पर स्वास्थ्य कार्यक्रम के संचालन का प्रदर्शित अनुभव। राज्य/जिला स्तर की स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करने का कार्य अनुभव
5. क्षमता विकास का कार्य अनुभव
6. बहु–क्षेत्रीय टीम परिवेश में कार्य करने, पहल करने और समय–सीमा के भीतर गुणवत्ता इनपुट प्रदायगी की प्रदर्शित योग्यता
7. केंद्रीय और राज्य स्तर पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ कार्य करने का अनुभव
8. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों और राज्यों के साथ प्रभावी ढंग से समन्वय करने की क्षमता
9. एमएस–वर्ड, एक्सेल, पावर प्वाइंट जैसे आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले पैकेजों की उच्च स्तरीय जानकारी सहित कंप्यूटर प्रवीणता
10. अच्छी मौखिक प्रस्तुति और लेखन कौशल

आयु सीमाः अधिकतम 60 वर्ष या उससे कम

कार्य स्थलः नई दिल्ली, किंतु राज्यों और जिलों की अक्सर यात्रा करनी होगी। यात्रा की अवधि महीने के लगभग आधे समय तक हो सकती है।

पारिश्रमिक सीमाः प्रतिमाह 1,50,000/– रु. से 2,00,000/– रु. के बीच

संविदा की अवधिः एक वर्ष और इसमें आगे विस्तार किया जा सकता है

आवेदन करने के लिएः

- संक्षिप्त वृत्त (रिज्यूमे), ई–मेल recruitment@nhsrcindia.org पर दिनांक **16-Nov-2016 को अपराह्न 4 बजे** तक पहुंच जाने चाहिए।
- ई–मेल की विषय–लाइन पर आवेदन किए गए पद का उल्लेख अवश्य करें, अन्यथा रिज्यूमे स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- अपने संक्षिप्त वृत्त (रिज्यूमे) में अपनी आयु, उपाधियां उत्तीर्ण करने का वर्ष, वर्तमान और पूर्व के रोजगार के विवरण का उल्लेख करना अनिवार्य है, इनके बिना वे स्वीकार नहीं किए जाएंगे।